



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

(Email : dlsa32sikar@gmail.com, Ph/fax- 01572-294048)

क्रमांक:- 3911

दिनांक:- 05-12-23

—::कार्यालय आदेश::—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक F4(210)/रालसा/विशेष-सचिव/एनएलए-4/2023/18102-18137 दिनांक 09.11.2023 एवं 18958-93 04.12.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), सीकर के आदेशानुसार दिनांक 09.12.2023 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय एवं धोद मुख्यालय पर निम्नानुसार बेंचो का गठन किया जाता है।

बैंच संख्या	बैंच अध्यक्ष	सदस्य अधिवक्ता	संबंधित प्रकरण
Pending Cases, District Consumer Forum & PLA Cases Bench			
1.	श्री कैलाश चंद अठवासियां (विशिष्ट न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर)	1. श्री केशरदेव बोराण, पैनल अधिवक्ता	पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग एवं स्थायी लोक अदालत, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
Pending Cases Bench			
2.	श्री गैरूलाल चंदेल (न्यायाधीश, एडीजे क्रम-2, सीकर)	1. श्री भवानी सिंह जेरठी पैनल अधिवक्ता	माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर, एडीजे क्रम-1, एडीजे क्रम-2, एडीजे क्रम-3, एवं एडीजे क्रम-4, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
3.	श्रीमती सीमा चौहान, (न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, सीकर)	1 श्री नवरंग लाल बिंवाल पैनल अधिवक्ता	न्यायालय सीजेएम, एसीजेएम क्रम-1, एसीजेएम क्रम-2, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
4.	श्री हिमांशु कुमावत (न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर)	1. श्री शिशराम डमोलिया, पैनल अधिवक्ता	न्यायालय जेएम, जेएम क्रम-1, जेएम क्रम-2, जेएम क्रम-3, एन.आई. कोर्ट, जे.जे.बी. एवं ग्राम न्यायालय कुडली, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
Pri-Litigatin Cases Bench (Pro-Bono Bench)			
5.	श्री रामकिशन शर्मा, (विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी, सीकर)	1. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, पैनल अधिवक्ता, 2. श्री राहुल पारीक, पैनल अधिवक्ता	जिला मुख्यालय स्थित बैंक/बीमा कम्पनियों (1890 प्रकरण), बीएसएनएल, सीकर एवं एवीवीएनएल, अजमेर (2569 प्रकरण) संदर्भित मुख्यालय स्थित समस्त प्री-लिटिगेशन प्रकरण


न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद मुख्यालय

बैंच संख्या	अध्यक्ष	सदस्य अधिवक्ता	संबंधित प्रकरण
1.	श्री दिलीप कुमार मीणा (न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2, सीकर बैठक स्थान- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद	1. श्री कमलेश कुमार इन्दोरिया, पैनल अधिवक्ता	न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद संदर्भित समस्त लंबित प्रकरण

आवश्यक निर्देश -

1. उक्तानुसार जिला मुख्यालय पर गठित बैंचों की सुनवाई (बैठक स्थान) जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर सीकर (न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद को छोड़कर) होगा।
2. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.12.2023 हेतु जारी गार्ड-लाईन के अनुसार प्रत्येक बैंच में लिए आवश्यकतानुसार अधिकतम 02 कर्मचारियों (किसी भी स्तर के) तथा 01 सहायक कर्मचारी की ही ड्यूटी लगायी जा सकेगी। यदि किसी बैंच में एक से अधिक न्यायालय की पत्रावलियां रखी जाती हैं तो दूसरे न्यायालयों/फोरम से पत्रावलियां प्रस्तुत करने हेतु संबंधित न्यायालयों/फोरम से 01-01 कर्मचारी (किसी भी स्तर के) की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
3. राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.12.2023 में ड्यूटी देने वाले कर्मचारिण की ड्यूटी संबंधी सूचना दिनांक 06.12.2023 तक एवं मानदेय संबंधी सूचना दिनांक 11.12.2023 तक संबंधित प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित बैंच अध्यक्ष निर्धारित प्रारूप में निस्तारित प्रकरणों की सूचना दिनांक 09.12.2023 को समय 01:00 पीएम एवं पूरे दिन निस्तारित हुए प्रकरणों की अंतिम सूचना समय 03:30 पीएम तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाये।
5. जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों द्वारा लोक अदालत बैंच में रखे गये प्रकरणों की पत्रावलियां, संबंधित बैंच को दिनांक 08.12.2023 को वादसूची के मुताबिक सूचीबद्ध तरीके से संभलार्ये एवं लोक अदालत के समापन के पश्चात् बैंच पत्रावलियां सूचीबद्ध तरीके से संबंधित न्यायालय को सम्भलार्ये।
6. प्री-लिटिगेशन बैंच के पीटासीन अधिकारी सफल एवं असफल पत्रावलियों पर ऑर्डरशीट लोक अदालत के दिन ही लिखवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे तथा पत्रावलियां भी लोक अदालत के दिन ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को सुपुर्द करवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
7. राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी प्रकरण राजीनामे के माध्यम से निस्तारित होंवे उन्हें उसी दिन **NJDG/CIS System** पर निस्तारित की श्रेणी में दर्ज किया जावें तथा जो प्रकरण कॉजलिस्ट में शेष रहें उनको भी पत्रावली में दी गई आगामी तारीख पर दर्ज करवा दिया जाए ताकि कोई भी प्रकरण अन-डेटेड न रहें।

आज्ञा से



सचिव

5.12.2023


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

दिनांक 05-12-2023

क्रमांक 3912-29

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संबंधित बैंच अध्यक्ष श्री/श्रीमति.....
2. संबंधित बैंच सदस्य श्री/श्रीमति
3. मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय.....
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीकर
5. श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर
6. कोर्ट मैनेजर/सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर